राजस्थानसरकार
राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, जोधपुर
प्राविधिकशिक्षानिदेशालय परिसर, जोधपुर, W-6, गौरवपथ, जोधपुर
Tel: 0291-2636072, 2632359 Fax: 0291-2632360, 2632329
E-Mail: exam.dte.trg.raj@gmail.com

क्रमांक :प.सं.9( )/RCVET/प्र–5/ परीक्षा /2017/70233 दिनांक: 7/7/17

—:: परिपत्र ::—

NCVT सैद्धान्तिक परीक्षाओं हेतु जारी समय–समय पर जारी निर्देश एवं परीक्षा निर्देशिका के माध्यम से यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि **परीक्षा केन्द्र अधीक्षक परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आने वाले परीक्षार्थियों को अधिक से अधिक 30 मिनट तक विलम्ब से आने तक प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं ।**

लेकिन NCVT सैद्धान्तिक परीक्षाओं के दौरान कुछ परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से 30 मिनट एवं उसके पश्चात् तक आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने के फलस्वरूप परीक्षा केन्द्र पर नकल एवं अन्य अवांछित गतिविधियां उत्पन्न होने की आशंका रहती है।

दिनांक 02.05.2017 को आयुक्त कार्यालय जयपुर में श्रीमान आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उक्त तथ्य पर चर्चा की जाकर निर्णय लिया गया है कि NCVT सैद्धान्तिक परीक्षाओं के दौरान परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देशों की अनुपालना में **परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था आगामी जुलाई 2017 परीक्षा से समाप्त की जाती है** तथा इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षकों/कोर्डिनेटरों आदि को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावें। **नियम समय के पश्चात् प्रवेश दिये जाने पर समस्त जिम्मेदरी केन्द्र अधीक्षक व कोर्डिनेटर की होगी। जिनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।**

निदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांक :प.सं.9( )/RCVET/प्र–5/ परीक्षा /2017/ दिनांक:

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक, संयुक्त राज्य शिक्षुता सलाहकार एवं संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, बनीपार्क, जयपुर।
2. उपनिदेशक प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा /बीकानेर/ उदयपुर/भरतपुर।
3. सदस्य सचिव, समस्त जिला संचालन समिति (जिला स्तरीय राजकीय औ0 प्र0 संस्थान)।
4. आचार्य/अधीक्षक, समस्त राजकीय औ0 प्र0 संस्थानों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना के सम्बन्ध में अपनी संस्थान के समस्त स्टाफ को सूचित करावें, ताकि परीक्षा के दौरान उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित हो।
5. आचार्य/अधीक्षक, समस्त राजकीय व निजी औ0 प्र0 संस्थानों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना अपने संस्थान के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें तथा अपने संस्थान के समस्त प्रशिक्षणार्थियों को अपने स्तर पर उक्त सूचना से अवगत करावें, ताकि उक्त सूचना के अभाव में कोई भी प्रशिक्षणार्थी परीक्षा से वंचित न रहे तथा प्रशिक्षणार्थी समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित हो सके।

उपनिदेशक (RCVET)